प्रतिवेदन

परियोजना का नामः– जनपद देहरादून के विधान सभा क्षेत्र डोईवाला में कालीमाटी चित्तौर घाईसेन होते हुए अपर तलाई तक मोटर मार्ग के नव निर्माण हेतु 1.5225 है0 वन भूमि का लो0नि0वि0 को हस्तान्तरण।

इस मार्ग के नव निर्माण की स्वीकृति राज्य योजना के अन्तर्गत शासनादेश सं0 7003/III(2)/18–23 (एम0एल0ए0)/2017 टी0सी0 लोक निर्माण अनुभाग–2, देहरादून दिनांक 18.12.2019 के द्वारा लम्बाई 6.00 किमी0 हेतु लागत रू0 29.04 लाख की प्राप्त है (छाया प्रति संलग्न)।

उक्त प्रस्तावित मार्ग कालीमाटी से प्रारम्भ होता है। भोपाल पानी से कालीमाटी तक का मार्ग अन्य कार्यदायी संस्था द्वारा निर्मित है। उक्त प्रस्तावित मार्ग की लम्बाई 6.00 किमी0 है, जिसमें 9 हेयर पिन बैण्ड है। यह संरेखण नाप भूमि, सिविल भूमि, वन भूमि से होकर गुजरता है। इस मार्ग के निर्माण होने जाने से स्थानीय जनता को अपने कृषि उत्पादों को मण्डी तक पहुँचाने में लगभग 20.00 किमी0 की लम्बाई का मार्ग कम तय करना होगा, जिससे स्थानीय जनता को काफी सुविधा प्राप्त होगी एवं स्थानीय किसानों को कृषि उत्पादन के विपणन में जो कठिनाई आती है, उसका समाधान स्वतः ही हो जायेगा, जिससे क्षेत्र का विकास तीव्रगति से होगा। इस संरेखण पर स्थानीय जनता का कोई विवाद नहीं है। साथ ही अन्य निकटवर्ती गॉव/तोक भी लाभान्वित होगें, जिससे यह मार्ग इस क्षेत्र के लिये एक मुख्य मार्ग के रूप में विकसित होगा। अतः मोटर मार्ग के नव निर्माण हेतु वन भूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव गठित कर लोक निर्माण विभाग को हस्तान्तरण हेतु प्रस्तुत है।

भूमि का प्रकार :–

आरक्षित वन भूमि	–	1.0325 है0
सिविल/समाज भूमि	–	0.49 है0
कुल क्षेत्रफल	–	**1.5225 है0**

उक्त प्रस्ताव के अन्य वांछित प्रमाण पत्र एवं प्रपत्र संलग्न किये गये है। अतः लोक निर्माण विभाग को 1.5225 है0 वन भूमि हस्तान्तरण हेतु प्रस्ताव प्रस्तुत है।

अपर सहायक अभियन्ता
अस्थाई खण्ड लो0नि0वि0
ऋषिकेश

सहायक अभियन्ता
अस्थाई खण्ड लो0नि0वि0,
ऋषिकेश

अधिशासी अभियन्ता
अस्थाई खण्ड लो0नि0वि0,
ऋषिकेश

वन क्षेत्राधिकारी
थानो रेंज
देहरादून वन प्रभाग

उप प्रभागीय वनाधिकारी
ऋषिकेश
देहरादून वन प्रभाग देहरादून

प्रभागीय वनाधिकारी
देहरादून वन प्रभाग,
देहरादून

E:\my doc\Ameen\Kalimaati Proposal.docx